भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5734
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

असम में आंगनवाड़ी केन्द्र

5734. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों में असम में आंगनवाड़ी केन्द्रों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) असम में अस्थायी अथवा अर्ध-पक्के भवनों में संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की जिला-वार संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) असम में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है और क्या सरकार ने उन्हें सचल शौचालय उपलब्ध कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को प्रति वर्ष 40,000 एडब्ल्यूसी की दर से बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत किया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी में पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका,

ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं। अब तक, 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है। असम राज्य में 2166 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया है। असम में उन्नत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों का जिले-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पांच वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 50000 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है, जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र के निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धन जुटाना जारी रखने की सलाह भी दी गई है। असम राज्य में कुल 16,331 आंगनवाड़ी केंद्र अर्ध-पक्के ढांचों में चल रहे हैं। इनका जिले-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां स्थान उपलब्ध हो।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए निधि को क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये और 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये करना शामिल है। असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल 5,627 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है और सचल शौचालय का कोई प्रावधान नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

"असम में आंगनवाड़ी केन्द्रों" के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5734 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	अब तक उन्नत किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	बक्सा	545
2.	बारपेटा	470
3.	बिश्वनाथ	100
4.	बोंगाईगांव	25
5.	कछार	66
6.	दरांग	151
7.	धुबरी	191
8.	डिब्रूगढ़	149
9.	गोलपाड़ा	508
10.	गोलाघाट	50
11.	हैलाकांडी	79
12.	होजाई	75
13.	जोरहाट	167
14.	कामरूप	153
15.	कार्बी आंगलोंग	50
16.	लखीमपुर	125
17.	माजुली	25
18.	मोरीगांव	50
19.	नगांव	125
20.	शिवसागर	23
21.	दक्षिण सलमारा मनकाचर	138
22.	तिनसुकिया	258
23.	उदलगुड़ी	361
24.	**कुल**	**3884**

अनुलग्नक-II

"असम में आंगनवाड़ी केन्द्रों" के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5734 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अर्ध-पक्के भवनों में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला	अर्ध-पक्के भवन में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	बजाली	89
2	बक्सा	854
3	बारपेटा	429
4	बिश्वनाथ	216
5	बोंगईगांव	115
6	कछार	1543
7	चराइदेव	22
8	चिरांग	319
9	दरांग	480
10	धेमाजी	478
11	धुबरी	592
12	डिब्रूगढ़	319
13	दीमा हसाओ	326
14	गोलपाड़ा	494
15	गोलाघाट	697
16	हैलाकांडी	431
17	होजाई	586
18	जोरहाट	138
19	कामरूप	534
20	कामरूप मेट्रो	155
21	कार्बी आंगलोंग	1194
22	करीमगंज	351
23	कोकराझार	519
24	लखीमपुर	1029
25	माजुली	102
26	मोरीगांव	259
27	नगांव	537
28	नलबाड़ी	643
29	शिवसागर	73
30	सोनितपुर	601
31	दक्षिण सलमारा मनकाचर	286
32	तामुलपुर	634
33	तिनसुकिया	304
34	उदलगुड़ी	575
35	पश्चिम कार्बी-आंगलोंग	407
	कुल	**16331**